



सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR

बजट पत्रों का
संक्षिप्त परिचय

KEY TO THE
BUDGET DOCUMENTS

2019-20

वित्त विभाग
FINANCE DEPARTMENT

बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

भारत के संविधान में कहीं भी “बजट” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में “बजट” के लिए “वार्षिक वित्तीय विवरण” शब्द का प्रयोग हुआ है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

1. संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, बिहार सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। “वार्षिक वित्तीय विवरण” नामक यह विवरण राज्य सरकार का मुख्य बजट-दस्तावेज है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है।

“वार्षिक वित्तीय विवरण” तीन विवरण में विभाजित है। विवरण - I। बिहार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं संवितरण, विवरण-II। बिहार की आकस्मिकता निधि - निवल तथा विवरण-III। बिहार का लोक लेखा खाता में प्राप्तियाँ एवं संवितरण से संबंध रखता है।

विवरण-I - बिहार की समेकित निधि- राजस्व खाता - प्राप्तियाँ

- (क) कर राजस्व,
- (ख) करेतर राजस्व,
- (ग) सहायता अनुदान और अंशदान।

विवरण-II - बिहार की समेकित निधि- राजस्व खाता - संवितरण

- (क) सामान्य सेवाएँ,
- (ख) सामाजिक सेवाएँ,
- (ग) आर्थिक सेवाएँ
- (घ) सहायता अनुदान और अंशदान।

विवरण-I - बिहार की समेकित निधि- पूँजी खाता - प्राप्तियां

(क) लोक ऋण,

(ख) उधार और अग्रिम ।

विवरण-I - बिहार की समेकित निधि- पूँजी खाता - संवितरण

(क) सामान्य सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

(ख) सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

(ग) आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

(घ) लोक ऋण

(ङ) ऋण एवं अग्रिम

विवरण-I (क) - बिहार की समेकित निधि पर “भारित” संवितरण

विवरण-II- बिहार की आकस्मिकता निधि - निवल

विवरण-III- बिहार का लोक लेखा खाता - प्राप्तियां एवं संवितरण

(क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(ख) राज्य भविष्य निधि और अन्य खाते

(ग) प्रारक्षित निधियां

(घ) जमा राशियां और अग्रिम

(ङ) उचन्त और विविध

(च) प्रेषित रकमें

समेकित निधि

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धन राशियां “समेकित निधि” का रूप लेती हैं । सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से किया जाता है और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती ।

आकस्मिकता निधि

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब सरकार को विधानमंडल की स्वीकृति मिलने के पहले ही अत्यावश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है । इस तरह का खर्च करने के लिए **आकस्मिकता निधि** अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के पास रहती है । इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिए बाद में विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धन राशि निधि में वापस डाल दी जाती है । इस समय इस निधि के लिए विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत स्थायी काय 350 करोड़ रुपये है ।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 4, 2015) के माध्यम से बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा-4 'क' में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से प्रारंभ होकर प्रत्येक वर्ष 30 मार्च तक के लिए आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में 350 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो उसे मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 4 प्रतिशत तक होगा । उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए ही किया जा सकेगा ।

लोक लेखा

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता है, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन-देनों जैसे कि भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि, का हिसाब भी रखा जाता है जिनके सम्बन्ध में सरकार लगभग एक बैंकर के रूप में कार्य करती है । इस तरह जो रकमें प्राप्त होती हैं उन्हें **लोक लेखे** में दिखाया जाता है और सम्बन्धित संवितरण भी इसी में से किया जाता है । लोक लेखा निधियां समेकित निधि का भाग नहीं होती है, इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है । इसलिए लोक लेखे से अदायगी करने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता ।

बजट भाषण

5. “बजट भाषण” मुख्यतः एक नीतिगत दस्तावेज है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है।

राजस्व बजट

6. राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्व से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है ।

(i) राजस्व प्राप्तियां के अन्तर्गत कर, गैर-कर राजस्व तथा सहायता अनुदान को शामिल किया जाता है । कर राजस्व में राज्य द्वारा लगाए गए करों तथा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शायी गयी राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है । सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं ।

(ii) राजस्व व्यय वे व्यय हैं जो सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी, आर्थिक सहायता आदि पर होता है । मोटे तौर पर ऐसे व्यय, जिससे अर्थव्यवस्था में किसी परिसम्पत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता, को राजस्व व्यय माना जाता है ।

पूंजी बजट

7. पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं ।

(i) पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद्दे हैं:- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

(जिसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतों के विरुद्ध प्राप्त ऋण, नाबार्ड से प्राप्त ऋण, एन0सी0डी0सी0 से प्राप्त ऋण), केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण और पूर्व से दिये गये ऋणों की वसूलियाँ ।

(ii) पूंजीगत व्यय में यह मदें शामिल होती हैं:- जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शैयरी आदि में लगाई जाने वाली पूंजी, सरकारी कम्पनियों, निगमों और राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम एवं लोक ऋण की वापसी ।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुमान, संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाओं के वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं । इस वर्गीकरण का उद्देश्य विधानमंडल और जनता को संसाधनों के आवंटन और खर्च करने में सरकार के उद्देश्य को समझने में सहायता देना है ।
9. संविधान के अनुसार, खर्च की कुछ मदें, जैसे राज्यपाल की परिलब्धियां, विधान मंडल के सभापति और उप-सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय का स्थापना व्यय जिसमें न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी शामिल होते हैं, लोकायुक्त का स्थापना व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई अदायगियां आदि, समेकित निधि पर भारित होती हैं और इन्हें विधानसभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में **समेकित निधि पर भारित खर्च** को एक विवरणी के द्वारा अलग भी प्रदर्शित किया जाता है ।

अनुदानों की मांगें

10. समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय का अनुमान वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया जाता है तथा विधान सभा द्वारा स्वीकृत किए

जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में अनुदानों की मांगों के रूप में सामान्यतः प्रत्येक विभाग/सेवा के सम्बन्ध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है । प्रायः प्रत्येक मांग में विभाग/सेवा के आवश्यक कुल व्यय की व्यवस्था की जाती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है । जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां, तो उस व्यय के लिए, मांग से भिन्न, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें मतदेय एवं भारित दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन मतदेय और भारित व्यवस्थाएं उस मांग में अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ विधान सभा में प्रस्तुत की जाती हैं । प्रत्येक मांग में मतदेय और भारित व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित राजस्व और पूंजी व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं तथा इसके अलावा जिस खर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल जोड़ भी इसमें दिखाया जाता है । इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं । प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का राजस्व और पूंजीगत अलग-अलग विवरण भी दिया जाता है । यथावश्यक लेखों में व्यय में से घटाई गई वसूलियां भी दिखाई जाती हैं । पुस्तक के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगों का सारांश दिया जाता है ।

वित्त विधेयक

11. विधान मंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 199 (1)(क) के अभिष्ट को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। जैसा की संविधान के अनुच्छेद 199 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है ।

बजट का सार

12. बजट का सार नामक पुस्तक में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और भुगतानों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। दस वर्षों की प्राप्ति एवं व्यय की प्रवृत्ति और राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आंकड़े एवं प्रतिबद्ध व्यय प्रदर्शित किये जाते हैं । इस पुस्तक में व्यय स्कीम और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का विस्तृत विवरण, स्कीम परिव्यय का क्षेत्रवार तथा विभाग वार प्रावधान और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है । इस पुस्तक में राजस्व घाटा/राजस्व बचत और राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है । राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्ति अधिक होती है तो **राजस्व बचत** होता है । राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का **राजस्व घाटा** होता है । इस प्रकार **राजस्व घाटा = (कर राजस्व + गैर-कर राजस्व) - (स्कीम राजस्व व्यय + स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय)** । सरकार कई स्कीमों के अधीन उधार लेती है, जो पूंजी प्राप्तियों का भाग बनता है । एक ओर, राजस्व, पूंजी और वापसी-अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता, परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है ।

प्राथमिक (मूल) घाटा सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज दायित्व को घटाने से प्राप्त होता है ।

बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

13. इस पुस्तिका में चालू वर्ष के बजट अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगे के वर्ष के अनुमानों का सारांश दिखाया जाता है । इस पुस्तिका में राज्य स्कीम के क्षेत्रीय परिव्यय के अंतर्गत राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की सूचना अंकित की जाती है ।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)

14. इस पुस्तिका में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों, सहायक अनुदान और पूँजी प्राप्तियों का ब्यौरा अंकित रहता है और अनुमानों की विस्तृत सूचना अंकित की जाती है । इस प्रलेख में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों एवं दिये गये ऋणों की वसूलियों की विस्तृत सूचना अंकित की जाती है ।

राजस्व व्यय पुस्तिका

15. इस पुस्तिका में राजस्व व्यय का ब्यौरा रहता है । राजस्व मद में प्रत्येक उपशीर्ष में मुख्य शीर्षवार प्रावधानित राशि का उल्लेख रहता है । राशि का व्यय किस विभाग के माध्यम से किया जायेगा, उससे संबंधित मांग संख्या का उल्लेख उसमें अंकित रहता है ।

पूँजीगत व्यय पुस्तिका

16. इस पुस्तिका में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, राज्य स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत मद में व्यय होने वाली राशि का प्रावधान उल्लेखित होता है । पुस्तिका में प्रत्येक उपशीर्ष में मुख्य शीर्षवार कितनी राशि प्रावधानित की गयी है, का उल्लेख रहता है । राशि का व्यय किस विभाग के माध्यम से किया जायेगा, उससे संबंधित मांग संख्या का उल्लेख उसमें अंकित रहता है ।

विभागवार/माँगवार पुस्तिकाएँ

17. प्रत्येक विभाग की माँगों के लिए विभागवार पुस्तिका में विभाग की माँगों में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, राज्य स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं बाह्य संपोषित स्कीम में प्रावधानित हुई राशि का विस्तृत ब्यौरा अंकित रहता है ।

लोक ऋण एवं गारंटी का ब्यौरा

18. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लिये गये कुल ऋण की सूचना अंकित होती है । विभिन्न उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण, जिसपर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गयी है, इसकी सूचना अंकित होती है । लोक ऋण पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वापस किये जाने वाले ऋणों एवं उन पर होने वाले ब्याज की विस्तृत सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

विकास व्यय

20. सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं के लोक निर्माण कार्य पर हुए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को इस श्रेणी में रखा जाता है ।

गैर-विकास व्यय

21. सामान्य सेवाओं (लोक निर्माण कार्यों को छोड़कर) के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को गैर-विकास व्यय की श्रेणी में रखा जाता है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- 22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन राज्य में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर किया जाता है, भले ही उसमें विदेशी संस्थाओं का भी योगदान निहित हो ।

जेन्डर बजट

23. राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । जेन्डर बजट में महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रावधान की जानकारी उपलब्ध होती है ।

जेन्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है । वर्ष 2008-09 से जेन्डर बजट का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है ।

परिणाम बजट

24. परिणाम बजट के माध्यम से संभावित परिणामों की जानकारी मिलती है और सरकार की वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वित्तीय वर्ष 2006-07 से की गई।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

- 25 बाल कल्याण की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान से संबंधित विवरण उन योजनाओं को उजागर करता है, जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए है। इस पुस्तिका का प्रस्तुतिकरण वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है।

वित्त आयोग

26. भारत में आंचलिक विषमता तथा प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है और इसके परिणामस्वरूप राज्यों की संसाधन संग्रह की क्षमता में भी अंतर है। इस कारण राज्यों के पास उपलब्ध संसाधन तथा नियत उत्तरदायित्व एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। संविधान निर्माता इस स्थिति से अवगत थे और वित्त आयोगों के नियमित गठन के जरिये उन्होंने एक तंत्र का निर्माण किया, जो स्थिति की समीक्षा करे और केंद्र से राज्यों को संसाधनों का इस प्रकार अंतरण करे कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी जवाबदेही का अधिक उपयुक्त ढंग से निर्वाह कर सके। इस लिहाज से वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में एक संवैधानिक निकाय है जिसके जरिये समीक्षा तथा संसाधनों का अंतरण होता है।

14 वें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिश की अनुशंसा-अवधि 1 अप्रैल, 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए है।

श्री एन.के.सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वाँ वित्त आयोग 30 अक्टूबर 2019 तक अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन

27. प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों का विस्तृत लेखा वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रलेख में दिया जाता है, जो प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से तैयार किया जाता है और विधान सभा के माननीय सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के समय परिचालित किया जाता है ।

आर्थिक सर्वेक्षण

28. आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका राज्य के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित करता है । आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बजट में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन का बेहतर मूल्यांकन करने में सुविधा होती है । आर्थिक सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन, आधारभूत ढांचों, रोजगार और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारकों से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है, जिसका बजट पर प्रभाव पड़ता है, और इसे आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाता है ।

स्थानीय निकायों का बजट

29. स्थानीय निकायों को राज्य सरकार से जो राशि विभिन्न विभागों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है उसकी सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है । स्थानीय निकायों का बजट पुस्तिका का प्रस्तुतीकरण वर्ष 2011-12 से किया जा रहा है ।

विनियोग विधेयक

30. विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगों के पारित होने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए अपेक्षित राशि को समेकित निधि से निकालने की विधान मंडल की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है । संविधान के अनुच्छेद-204 (3) के अन्तर्गत विधान मंडल द्वारा ऐसा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नहीं निकाली जा सकती ।

लेखानुदान

31. बजट प्रस्तुत करने से लेकर अनुदान मांगों पर बहस एवं मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। विधान सभा द्वारा मांगों के पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम स्वीकृति दी जाती है तो उसे लेखानुदान कहा जाता है।

अगर प्रक्रिया को पूरा कर विनियोग विधेयक पर स्वीकृति 31 मार्च के पूर्व ले ली जाती है तो उसे “पूर्ण बजट” पारित हुआ के रूप में जाना जाता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006

32. यह अधिनियम राजकोषीय स्थायित्व और वहनीयता सुनिश्चित करने और राजस्व घाटा के उत्तरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, वित्तीय कार्यकलापों में अधिकाधिक पारदर्शिता, मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना तथा मानव विकास के अवसरों में वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु लागू किया गया।

मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

33. जैसा कि राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (एफ. आर.बी.एम. अधिनियम) में आदेशित किया गया है, मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधी विवरण में अन्तर्निहित पूर्वानुमानों सहित विशेष राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है।

राजकोषीय नीति के कार्य योजना विवरण

34. जैसा कि राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित किया गया है, राजकोषीय नीति के कार्य योजना विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित राज्य सरकार की नीतियां शामिल हैं। इसमें राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए साथ ही चालू नीतियां किस प्रकार राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में कोई भारी बदलाव लाने का औचित्य क्या है, इस पर भी विचार किया जाता है।

बृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण

35. बृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण में अन्तर्निहित पूर्वानुमानों सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर और राज्य सरकार का राजकोषीय संतुलन से संबंधित अनुमान शामिल हैं।

भारत संविधान से बजट संबंधी मुख्य अनुच्छेदों का उद्धरण

202. वार्षिक वित्तीय विवरण-(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के प्राक्कलनों में-

- (क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ, और
- (ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ, पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्:-

- (क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;
- (ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते;
- (ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;
- (घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;
- (ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ;
- (च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया:- (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे ।

(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

- 204. विनियोग विधेयक:-** (1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से- (क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और
- (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा ।
- (2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं ।
- (3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं ।

205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान:- (1) यदि-

- (क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या
- (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान- (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान सभा को-

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद-203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की,

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण माँग ऐसे व्यौरे के साथ वर्णित नहीं कि जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित माँग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की,

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, शाक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किये गये हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधान मंडल को शाक्ति होगी ।

(2) खंड- (1) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनायी जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद-203 और अनुच्छेद-204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनायी जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

207. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध- (1) अनुच्छेद-199 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए

उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जायेगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा: परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी ।

- (2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गयी सेवाओं के लिए फीसों की माँग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जायेगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाये द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।
- (3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किसे जाने पर राज्य के संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है ।

280. वित्त आयोग:-(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

- (2) संसद, विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी

(3) **आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह-**

- (क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में,
- (ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,

- 1[(खख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;]
- 2[(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;]
- 3(घ) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राष्ट्रपति को सिफारिश करे ।
- (4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

